अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग एवं अध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), उ0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारिणी समिति की पंचम बैठक दिनांक 04.07.2018 को पूर्वाह्न 11:30 बजे का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 04.07.2018 को पूर्वाह्न 11:30 बजे पूर्व निर्धारित एवं संसूचित एजेण्डे के अनुसार पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) की कार्यकारिणी समिति की पंचम बैठक श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन आयुक्त के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् है:–

क्र. सं.	नाम	पद व पता	'प्रिट' के पदाधिकारी
1.	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज एवं अध्यक्ष, 'प्रिट'।	अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति
2.	श्री आकाश दीप	निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)।	उपाध्यक्ष
3.	श्री आकाश दीप	निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।	सदस्य
4.	श्री प्रवीण कुमार लक्षकार	विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय।	सदस्य
6.	श्री कीर्ति शंकर अवस्थी	संयुक्त निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), लखनऊ।	सदस्य सचिव
7.	श्री गिरीश चन्द्र रजक	उपनिदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय।	सदस्य
8.	श्री सहारा चन्द संगम (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव नियोजन विभाग)	अपर शोध अधिकारी, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
9.	श्री रमेश चन्द्र मिश्र (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन)	अनुसचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
10.	श्री नवीन चन्द्र (प्रतिनिधि महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ)	फैकल्टी मेम्बर, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ।	सदस्य

मा0 अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, प्रिट की अनुमति से संयुक्त निदेशक/सदस्य सचिव, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, 'प्रिट' द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं क्रमशः एजेण्डावार चर्चा की गयी। माननीय कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् हैः–

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>प्रिट की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 15–06–2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।</td><td>मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा गत बैठक दिनांक 15.06.2017 का कार्यवृत्त यथावत अनुमोदित किया गया।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>प्रिट की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 15–06–2017 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।</td><td>मा0 समिति गत बैठक दिनांक 15.06.2017 में लिए गये निर्णय के अनुपालन से अवगत हुई तथा मा0 अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि तीन समितियों के सभापतियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को 01 माह के अन्दर पूर्ण करा लिए जाए।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>गत बैठक दिनांक 15–06–2017 के पश्चात प्रिट में आयोजित कराये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समिति से अनुमोदन।</td><td>मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि वर्ष 2017–18 की कार्ययोजना के अवशेष प्रशिक्षण भी शीघ्र पूर्ण करा लिए जाएं।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>प्रिट के अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक प्राप्त एवं व्यय धनराशियों का विवरण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना।</td><td>मा0 समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2016–17 के सापेक्ष कार्यक्रमों का तुलनात्मक मदवार आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाए। उक्त के अवलोकित कराये जाने के बाद समिति का अनुमोदन माना जाए।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>प्रिट के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 05.12.2016 द्वारा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना।</td><td>मा0 समिति स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विवरण से अवगत हुई। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा जिज्ञासा की गई कि आउटसोर्सिंग संस्थाओं द्वारा पंचायती राज निदेशालय स्तर पर कार्यरत अन्य एजेन्सी द्वारा लिया जा रहा सर्विस चार्ज की तुलना भी कर ली जाए एवं एकरूपता रखी जाए।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>प्रिट द्वारा वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित ट्रेनिंग कैलेण्डर के दृष्टिगत आवश्यक अतिरिक्त पदों का अनुमोदन प्राप्त किया जाना।</td><td>मा0 समिति द्वारा पूर्व स्वीकृत के अतिरिक्त निम्नांकित पदों का अनुमोदन प्रदान किया गयाः–<table><tr><th>क्र. सं.</th><th>पद</th><th>स्वीकृत पद</th></tr><tr><td>1.</td><td>प्रधानलिपिक</td><td>01</td></tr><tr><td>2.</td><td>ट्रेनिंग मैनेजर/फैकल्टी</td><td>01</td></tr><tr><td>3.</td><td>कम्प्यूटर ऑपरेटर</td><td>02</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>4.</td><td>स्टोर कीपर छात्रावास/गेस्ट हाउस</td><td>01</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>इलेक्ट्रीशियन</td><td>01</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>प्लम्बर</td><td>01</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>सफाईकर्मी/स्वीपर</td><td>सफाई कार्य एजेन्सी के माध्यम से ठेके पर कराया जाए</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>माली</td><td>01</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>चौकीदार</td><td>03</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>होम/सुरक्षा गार्ड</td><td>06</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>17</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जनपद बलिया व कन्नौज में निर्माणाधीन क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की प्रगति से समिति को अवगत कराया जाना।</td><td>सचिव, 'प्रिट' ने अवगत कराया कि दोनों प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण उपरान्त धनराशि की द्वितीय किश्त अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रचलित है। मा0 समिति ने अवगत होकर संतोष व्यक्त किया।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>जनपद अम्बेडकरनगर में क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन व आर0जी0एस0ए0 योजनान्तर्गत वित्त पोषित 25 डी0पी0आर0सी0 के संचालन की प्रगति से समिति को अवगत कराया जाना।</td><td>मा0 समिति अवगत हुई। मा0 अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि आगामी बैठक में 25 डी0पी0आर0सी0 की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या प्रस्तुत किया जाए।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान 'प्रिट' के भवन में आवासीय प्रशिक्षण व संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में</td><td>मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिए गए कि मरम्मत कार्यों पर मितव्ययता को ध्यान में रखा जाए। इस हेतु तकनीकी तथा वित्तीय नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही की जाए।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>प्रिट के अन्तर्गत वर्ष 2018--19 में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना।</td><td>मा0 समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों का दो दिवसीय अभिलेखीकरण व एकाउण्टेन्सी का पृथक से प्रशिक्षण कराया जाए तथा सहायक विकास अधिकारी (पं0) नवनियुक्त तथा प्रोन्नत, जिला पंचायत राज अधिकारी नवनियुक्त तथा प्रोन्नत एवं उपनिदेशक (पं0) का भलीभांति प्रशिक्षण भी कराया जाए। साथ ही उच्च श्रेणी के तथा ट्रेनिंग नीड एनालिस्ट को चयन कर राय ली जाए तथा अनुमोदनोपरान्त तदनुसार ट्रेनिंग शिड्यूल व माड्यूल में गुणात्मक सुधार किया जाए।</td></tr>
</table>

11.	प्रिट की नियमावली का अनुमोदन प्राप्त किया जाना	मा0 समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि समूह ग एवं घ के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग की नियमावली लागू होगी।
12.	ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।	मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिया गया कि प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार किया जाए एवं प्रशिक्षण हेतु बुलाए जाने वाले संदर्भ व्यक्तियों की योग्यता व मानदेय भी भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार होनी चाहिए।
13.	अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति सेः—	
	1. शासनादेश दिनांक 05.12.2016 में स्वीकृत आउटसोर्सिंग के पदों के अन्तर्गत सफाईकर्मी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 09 पदों पर नियुक्तियां की गई है। इन पदों हेतु तत्समय मानदेय रु0 6000/— की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जो कि श्रम विभाग द्वारा मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित दरों से भी कम है। वर्तमान में इन पदों के सापेक्ष कार्य कर रहे कर्मचारियों के आर्थिक हितों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मा0 समिति से उक्त कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार वर्तमान में प्रचलित दरों के आधार पर मानदेय स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।	मा0 समिति द्वारा श्रम आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्याः—471/500/प्रवर्तन—(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 27.03.2017 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम—1948 से अन्यून मजदूरी/मानदेय का भुगतान किया जाए।
	2. शासनादेश दिनांक 05.12.2016 में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान 'प्रिट' के अन्तर्गत स्वीकृत आउटसोर्सिंग के पदों यथा पंचायती राज विशेषज्ञ, ग्राम विकास विशेषज्ञ, प्रशिक्षण प्रबंधक, सिस्टम मैनेजर	मा0 समिति द्वारा इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि पंचायती राज विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में तथा अन्य विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात स्टाफ के मानदेय में एकरूपता रहे, यदि उनकी शैक्षिक योग्यता/दक्षता समान हो।

		(आई0टी0), कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सहायक, स्वागती, अनुसेवक पुरुष छात्रावास, अनुसेवक महिला छात्रावास, सफाई कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी/सफाईकर्मी व माली पर प्रारम्भ से समेकित मानदेय पर कार्य कर रहें है, जिनका मानदेय **परिशिष्ट–12** में दिये गए विवरणानुसार बढ़ाने का प्रस्ताव है।	
	3.	प्रिट स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों तथा संस्थान में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा के लिए एक आकस्मिक चिकित्सा निधि की स्वीकृति मा0 समिति से निवेदित है, जिसके अन्तर्गत रु0 1,00,000/– वार्षिक व्यय धनराशि का प्राविधान प्रिट स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है।	सदस्य–सचिव, 'प्रिट' द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रस्तावित धनराशि रु0 1,00,000/– वार्षिक बहुत कम है। अतः आकस्मिक चिकित्सा निधि की स्वीकृति धनराशि रु0 2,00,000/– लाख वार्षिक व्यय किये जाने पर मा0 समिति से अनुरोध है। तद्नुसार मा0 समिति द्वारा उक्त प्रस्तावित धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया।
	4.	मा0 समिति कृपया अवगत होना चाहें कि कार्यकारिणी समिति की गत बैठक में प्रिट के अन्तर्गत एक वाहन निदेशक, 'प्रिट' के उपयोगार्थ अनुमन्य किया गया है। वर्तमान में प्रिट में एक अपर निदेशक व संयुक्त निदेशक कार्यरत है। उक्त के अतिरिक्त आयोजित किये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु मास्टर एसेसर्स व गेस्ट फैकल्टी आदि को लाने व ले जाने हेतु एक वाहन की निरन्तर आवश्यकता पड़ती है। तत्कालिक वाहन व्यवस्था किये जाने पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। अतः यह प्रस्तावित है कि एक वाहन अपर निदेशक,	मा0 समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि अन्य समस्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों में हुए प्रशिक्षण के वाल्यूम से तुलना कर उन संस्थाओं में नियोजित वाहन का तुलनात्मक आंकलन प्रस्तुत किया जाए। तदनुरूप ही प्रिट में वाहनों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव पृथक से प्रस्तुत किया जाए।

	'प्रिट' के उपयोगार्थ, एक वाहन संयुक्त निदेशक, 'प्रिट' के उपयोगार्थ व एक वाहन कार्यालय पूल हेतु आउटसोर्सिंग के आधार पर प्रिट में अनुबंधित कर लिया जाए।	
	5. समिति कृपया अवगत होना चाहें कि प्रिट में 50 कम्प्यूटर की एक लैब स्थापित है, जिसमें प्रिट द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को पंचायती राज के विभिन्न सॉफ्टवेयरर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही समय–समय पर उ0प्र0 शासन के विभिन्न विभागों के लिए भी कम्प्यूटर लैब किराये पर दिए जाने की आवश्यकता भी पड़ती है। अतः अन्य विभागों को प्रशिक्षण लैब दिए जाने की स्थिति में रु0 500/– प्रति कम्प्यूटर प्रति दिन की दर से अर्थात कुल रु0 25,000/– प्रतिदिन की दर से चार्ज लिया जाना प्रस्तावित है। अतः मा0 समिति द्वारा कम्प्यूटर लैब की उक्त दरों को अनुमोदित किया जाना निवेदित है।	प्रशिक्षण हेतु अन्य संस्थाओं को कम्प्यूटर लैब दिये जाने पर मा0 समिति द्वारा रु0 350/– प्रति कम्प्यूटर प्रतिदिन की दर से चार्ज लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक सम्पन्न हुई।

(के0 एस0 अवस्थी)
संयुक्त निदेशक/सचिव,
'प्रिट'